न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)

मि.न 103/2020 दिनांक 2.7.2020

सरकार बनाम मायाराम

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कल्यांणपुरा कला ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम के कुहाड़ा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 15 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता में से 0.0030 है0 भूमि पर मायाराम पुत्र भागीरथ जाति गुजर्र ने मिट्टी से डोल बना कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । सूचना बाद गैर सायल अनुपस्थित । नाही कोई जबाब दस्तावेज पेश किये गये जिनके आधार पर गैर सायल को अनुतोष दिया जा सके।, भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों पर गौर किया तो विवेचन पर पाया की गैर सायलान द्वारा ग्राम कुहाड़ा के खसरा नंबर 15/0.13 किस्म गैर मुमकीन रास्ता पर अतिक्रमण सिद्व होता है । अतः आतिक्रमि के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैरसायल मायाराम पुत्र भागीरथ जाति गुर्जर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम कुहाड़ा तहसील कोटपूतली के खसरा नंबर 15/0.13 है0 किस्म जमीन गैर मुमकीन रास्ता में 0.0030 है0 भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायल द्वारा किये गये कब्जे को हटाया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 0.012रू. का पचास गुणा 1 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 2.7.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner